

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

पत्रांक-2/जी1-06/07, उच्च शिक्षा 12

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ए.एण्ड.ई0-11)
बिहार, पटना
अनीपचारिक रूप से (द्वारा)-वित्त विभाग।
परामर्शित

पटना, दिनांक 4-11-2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 में गैर-योजनान्तर्गत भोजपुरी अकादमी, मैथिली अकादमी/मगही अकादमी/
बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी/बंगला अकादमी के लिए समेकितरूप से कुल 1,25,21,000/- (एक करोड़
पच्चीस लाख एककीस हजार) रुपये मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने भोजपुरी अकादमी/ मैथिली अकादमी /मगही अकादमी/ बिहार हिन्दी ग्रंथ
अकादमी/बंगला अकादमी, पटना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि,
मकान भाड़ा, बिजली, कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं अन्य आवश्यक आकस्मिक व्यय आदि के लिए संलग्न व्यय
विवरणी परिशिष्ट-क के अनुसार गैर योजनान्तर्गत क्रमशः- 24,00,000 (चौबीस लाख) 19,00,000 (उन्नीस लाख)
17,30,000 (सत्तरह लाख तीस हजार) 60,00,000 (साठ लाख रुपये) 4,91,000 (चार लाख एकान्वे हजार) मात्र
सहायक अनुदान इस शर्त के साथ स्वीकृत करने की कृपा की है कि उक्त राशि का व्यय उन्हीं मदों एवं पदों
के विरुद्ध किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत है।

2. व्यय का विकलन क्रमशः मुख्य शीर्ष 2202- सामान्य शिक्षा-80- सामान्य-004-अनुसंधान
मार्ग संख्या 21-0019-भोजपुरी अकादमी, विपत्र कोड एन- 2202800040019 -3101-सहायक अनुदान /मुख्य
शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य 004 अनुसंधान मार्ग संख्या 21- 0012-मैथिली अकादमी, विपत्र कोड
एन- 2202800040012-3101-सहायक अनुदान/ मुख्य- शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा-80- सामान्य
-004-अनुसंधान मार्ग संख्या- 21-0015 मगही अकादमी, विपत्र कोड- एन- 2202800040015-3101-
सहायक अनुदान/मुख्य शीर्ष 2202- सामान्य शिक्षा-80- सामान्य-004-अनुसंधान-मार्ग संख्या-21-0009
बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी- विपत्र कोड- एन-2202800040009-3101-सहायक अनुदान/ मुख्य शीर्ष 2202-
सामान्य शिक्षा-80- सामान्य-004-अनुसंधान-मार्ग संख्या-21-0016 बंगला अकादमी- विपत्र कोड- एन-
2202800040016 - 3101-सहायक अनुदान' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में होगा।

3. संपूर्ण राशि 1,25,21,000/- (एक करोड़ पच्चीस लाख एककीस हजार) मात्र लेखा
पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना के निस्ताराधीन सौंपी जाती है जो
सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी करेंगे तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक
भोजपुरी अकादमी पटना को 24,00,000 (चौबीस लाख रुपये)/ मैथिली अकादमी पटना को 19,00,000 (उन्नीस
लाख रुपये)/ मगही अकादमी पटना को 17,30,000 (सत्तरह लाख तीस हजार रुपये) / बिहार हिन्दी ग्रंथ
अकादमी को 60,00,000 (साठ लाख रुपये) बंगला अकादमी को 4,91,000 (चार लाख एकान्वे हजार) रू0 मात्र
भुगतान करेंगे।

D:\Akademii Sanishch 2009-10.doc

निर्धारित करने के उपरान्त उनके वेतनादि का निर्धारण किया गया है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 5.10.07 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877-907 दिनांक 8.11.07 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् आवंटन आदेश निर्गत होने के बाद राशि की निकासी की जाएगी।

5. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य अंकेक्षण वित्त विभाग को यह अधिकार होगा कि वे उनके लेखा का अंकेक्षण करें।

6. राज्य सरकार द्वारा जिस खास उद्देश्य से राशि स्वीकृत की जा रही है, अकादमी वस्तुतः उसकी पूर्ती निरन्तर करते रहेंगे और स्वीकृत राशि का लेखा जोखा अकादमी द्वारा अलग से रखा जायेगा। व्यय विवरणी के अनुसार अकादमी द्वारा राशि खर्च की जायेगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह के अन्दर अकादमी द्वारा निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8. निदेशक उच्च शिक्षा, बिहार को सूचित कर दिया गया है।

9. यू0ओ0आर0 संख्या 550/एफ 8 दिनांक 14.08.09 के द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(ओंकार नाथ आर्य)

सरकार के उप सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापक-15/जी1-06/07 उच्च शिक्षा -12 पटना, दिनांक 4.11.09

प्रतिलिपि- निदेशक उच्च शिक्षा बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा - निदेशक भोजपुरी अकादमी, पटना/ निदेशक, मैथिली अकादमी पटना/ निदेशक, मगही अकादमी पटना/ निदेशक, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना/ निदेशक, बंगला अकादमी, पटना/ आय व्यय-सह- बजट पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग/ लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 5, 14 एवं 15 मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग/कार्यलय सहायक एवं लेखापाल मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ओंकार नाथ आर्य)

सरकार के उप सचिव


मानव संसाधन विकास विभाग

विवरण

वित्तीय वर्ष 2009-10 में गैर योजनान्तर्गत भोजपुरी अकादमी, मैथिली अकादमी, मगही अकादमी, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी एवं बंगला अकादमी में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्यरत पदाधिकारियों कर्मचारियों के वेतनादि, मकान भाड़ा, बिजली, कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं अन्य आवश्यक आकस्मिक, व्यय आदि हेतु स्वीकृत राशि की व्यय विवरणी-

1. भोजपुरी अकादमी		
(I) पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि-		23,00,000
(II) मकान भाड़ा, बिजली, कार्यालय व्यय एवं अन्य आवश्यक, आकस्मिक व्यय आदि-		1,00,000
	योग	24,00,000
2. मैथिली अकादमी		
(i) पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भात्ता आदि-		17,50,000
(ii) मकान भाड़ा-		1,00,000
(iii) बिजली बिल-		25,000
(iv) कार्यालय व्यय-		25,000
	योग	19,00,000
3. मगही अकादमी		
(i) पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि-		16,30,000
(ii) मकान भाड़ा-		65,000
(iii) बिजली-		10,000
(iv) टेलीफोन-		10,000
(v) लेखन सामग्री-		15,000
	योग	17,30,000
4. बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी		
(I) पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि-		60,00,000
	योग	60,00,000
5. बंगला अकादमी		
(I) पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि		4,91,000
	कुल योग	1,25,21,000

(एक करोड़ पच्चीस लाख एककीस हजार रू० मात्र)



(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग